न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 34/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जीवराजसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपुरोहित निवासी नारवाखुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर।		सरकार जरिये पटवारी नारवाकलां तहसील, खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:11.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 27/2020 सरकार बनाम जीवराजसिंह में निर्णय दिनांक 16.07.2020 तथा संशोधित निर्णय दिनांक 11.08.2020 के तहत मौजा नारवाखुर्द के खसरा नं. 339 रकबा 0.014 बीघा बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार खींवसर के प्रकरण सं. 27/2020 सरकार बनाम जीवराजसिंह के फर्द अहकाम दिनांक 13.07.20 से 16.07.20 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 16.7.20 की फोटोप्रति तथा संशोधित निर्णय दिनांक 11.08.20 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधिविरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट के विरूद्व पटवारी नारवाकलां ने ग्राम नारवाखुर्द के गै.मु. खसरा नं. 339 के रकबा 0.01 बीघा भूमि पर अथवा उसके किसी भू–भाग पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मिथ्या की है। जबकि अपीलांट का उक्त भूमि के किसी भू–भाग पर कभी कब्जा नही रहा और न ही वर्तमान मे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खीवसर ने पटवारी नारवाकलां की अपीलांट की पीठ पीछे तैयार की गई एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर उन्हे अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(III)–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व कर्मचारियो की टीम द्वारा सही माप करवाने के संबंध मे आवेदन पेश किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर अलग से किसी भी प्रकार का निर्णय करना उचित नही समझा व उक्त आवेदन को जवाब मानकर निर्णय पारित कर दिया। जबकि अपीलांट ने मौका स्थिति मंगवाने के लिये आवेदन पेश किया था व जवाब के लिये अवसर चाहा था तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी उक्त आवेदन के संबंध मे आदेश पारित करने के पश्चात् अपीलांट को विधिनुसार

अपर कलक्टर, नागौर

सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधि की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित कर दिया, जो अवैध है।

{2}(IV)–वादग्रस्त भूमि के संबंध मे एक तरफा तो अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.7.20 को निर्णय पारित किया और दूसरी तरफ उसी दिन अपीलांट के आवेदन पर मौका रिपोर्ट तलब करने का आदेश पारित किया। जिस पर पटवारी व आरआई की टीम गठित की गई तथा उनके द्वारा दिनांक 18.7.20 को मौका देखा गया तथा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 339 पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही पाया गया तथा उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट के विरूद्व बेदखली का गलत आदेश पारित कर दिया। जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान लिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने तो जैसे निर्णय करने का पहले से सोच रखा था। इस प्रकार से जैसे ही अपीलांट उपस्थित हुआ। उसे विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसी दिन बिना किसी प्रकार की बहस सुने ही निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय की परिभाषा मे ही नही आता है।

{2}(VII)–विवादित खसरा नं. 339 के पास मे खसरा नं. 338 अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है इसलिये राजनैतिक गांव की पार्टीबाजी के कारण अपीलांट के विरूद्व झूठी शिकायते करके उक्त कार्यवाही की गई है। जबकि पटवारियो व आरआई की टीम ने कोई अतिक्रमण अपीलांट का नही पाया था। इसके बावजूद उक्त मौका रिपोर्ट पर विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मे संशोधन करने से पूर्व भी न तो अपीलांट को नोटिस देना उचित समझा और न ही पटवारी के आवेदन को आदेशिका मे लिया और न ही अपीलांट को सुना और सीधे ही अपनी मनमर्जी से निर्णय मे संशोधन कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नारवाखुर्द में स्थित बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नारवाखुर्द के खसरा नंबर 339 बारानी–2 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर